संख्या-16/2026/241/2026/002-12-5099-16-2026

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०लेखा/पुनर्विनियोग/2025-26/255-D, दिनांक 23 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजना के विभिन्न मानक मदों में रू० 600.00 लाख (छः करोड़ मात्र) की धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या-बजट-1-488, दिनांक 13.03.2026** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्य में आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001010300 (मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	08 कार्यालय व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
2	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
3	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
4	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	29 अनुरक्षण	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
5	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
6	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
7	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	49 चिकित्सा व्यय	4,21,00,000 (रुपये चार करोड़ इक्कीस लाख मात्र)
	कुल			**6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)**

महायोग	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-16/2026/241(1)/2026/002-12-5099-16-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-12-5099-16-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	01 (वेतन)	2,07,61,81,000 रुपये दो अरब सात करोड़ इकसठ लाख इक्यासी हजार मात्र	6,53,00,000 रुपये छह करोड़ तिरेपन लाख मात्र	6,53,00,000 रुपये छह करोड़ तिरेपन लाख मात्र	60000000	2061810 00	2025-2026

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	08 (कार्यालय व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	1200000	3200000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	600000	900000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	29 (अनुरक्षण)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	76,00,000 रुपये छिहत्तर लाख मात्र	6000000	6300000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	42 (अन्य व्यय)	53,00,000 रुपये तिरेपन लाख मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	6000000	11300000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	31,00,000 रुपये इकतीस लाख मात्र	2500000	8500000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	1000000	2000000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	600000	700000	2025-2026
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,20,00,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र	4,21,00,000 रुपये चार करोड़ इक्कीस लाख मात्र	42100000	54100000	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- अद्यतन व्यय के आधार पर बचत उपलब्ध है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- उक्त मद में भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर ई- बजट-1-488 -2025-26, दिनांक 13 मार्च फरवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(लाल बहादुर यादव)
विशेष सचिव।

Digitally signed by RAHUL KUMAR
Date: 13-03-2026 12:39:25

संख्या-A012-20252026-12-5099-16-2026, दिनांक 13 मार्च फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
विशेष सचिव।

[redacted]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।